

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
62 / 2025

दायर दिनांक
15.04.2025

निर्णय दिनांक
24.06.2025

अनवान

1. अनिता कुंवर पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मांगीलाल पिता उंकार जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. डालु पिता कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नारायण पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. देवजी पिता खेमा जाति भील आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. पेमा पिता गोकल जाति भील आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. शुभम पिता देवीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट
एक तरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के आराजी संख्या 1380 रकबा 0.71 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 1379 रकबा 0.52 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व



सहायक फिल्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करमाया जावें। हगने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश नियत किया गया।

हगने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व वहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरवहरा के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-वहरा की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के आराजी संख्या 1380 रकबा 0.71 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 1379 रकबा 0.52 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किरसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अग्नि0निरी0 उमण्ड को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुयालका)
उपखण्ड कमिश्नरी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ